



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 13.10.2021

1-ए0एच0टी0यू0 पुलिस टीम गौतमबुद्धनगर द्वारा ऑनलाईन बुकिंग के माध्यम से अनैतिक देह व्यापार कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 कार, 02 मोबाइल फोन व 500 रूपये बरामद।

दिनांक 12.10.2021 को सहायक पुलिस आयुक्त नोएडा-2 के नेतृत्व में ए0एच0टी0यू0 पुलिस टीम और थाना सेक्टर 24, नोएडा पुलिस द्वारा ऑनलाईन बुकिंग के माध्यम से अनैतिक देह व्यापार कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 01 अभियुक्त सलमान पुत्र निसार अहमद निवासी स्कावयर मॉल के बराबर वाली गली, सेक्टर-71 नोएडा, गौतमबुद्धनगर मूल पता गांव दलीपपुर, थाना अछल्दा, जिला औरध्या, उत्तर प्रदेश को थाना सेक्टर-24 क्षेत्र के सारथी होटल, सेक्टर-53 नोएडा के सामने से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 हुन्डई एक्सैन्ट कार रजि0 न0-यूपी 79 टी 7381, 02 मोबाइल फोन व 500 रूपये बरामद हुये है।

अपराध करने का तरीका:

अभियुक्त द्वारा बताया गया कि हम लोग इंटरनेट एंव व्हाट्सएप नम्बर के माध्यम से लोगों से बात करते हैं तथा डील होने पर हम लोग गाड़ी के माध्यम से लडकियों को होटल, घर, मकान, कोठी आदि स्थलो पर पहुंचाते हैं एवं ग्राहको से मोटी रकम के तौर पर नकद पैसा वसूलते है तथा ग्राहक के हिसाब से यह रकम 5,000 रूपये से लेकर 20,000 रूपये तक वसूली की जाती है।

अभियुक्त का विवरण:

सलमान पुत्र निसार अहमद निवासी स्कावयर मॉल के बराबर वाली गली, सेक्टर-71 नोएडा, गौतमबुद्धनगर मूल पता गांव दलीपपुर, थाना अछल्दा, जिला औरख्या, उत्तर प्रदेश।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण:

- 1.मु0अ0सं0-962/21 धारा 370ए(2),34 भादवि व धारा 3/4/5 अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956 थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर।
- 2.मु0अ0सं0-0023/20 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना अछल्दा जिला औरख्या उत्तर प्रदेश।
- 3.मु0अ0सं0-0129/20 धारा 323,304,504 भादवि थाना अछल्दा जिला औरख्या उत्तर प्रदेश।
- 4.मु0अ0सं0-0177/2019 धारा 394 भादवि थाना बिधूना जिला औरख्या उत्तर प्रदेश।
- 5.मु0अ0सं0-0180/2019 धारा 379 भादवि थाना बिधूना जिला औरख्या उत्तर प्रदेश।
- 6.मु0अ0सं0-0200/2019 धारा147,148,149,307 भादवि थाना बिधूना जिला औरख्या उत्तर प्रदेश।
- 7.मु0अ0सं0-0202/2019 धारा 25 (3) आयुध अधि0 थाना बिधूना जिला औरख्या उत्तर प्रदेश।
- 8.मु0अ0सं0-0229/2019 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण) अधि0 थाना बिधूना जिला औरख्या उत्तर प्रदेश ।
- 9.मु0अ0सं0-0220/2017 धारा 392 भादवि थाना बिधूना जिला औरख्या उत्तर प्रदेश।
- 10.मु0अ0सं0-446/2017धारा 147,148,149,307,323,452,504 भादवि थाना दिबियापुर जिला औरख्या उत्तर प्रदेश।

बरामदगी का विवरण:

- 1.घटना में प्रयुक्त 01 हुन्डई एक्सैन्ट कार रजि0 न0-यूपी 79 टी 7381
- 2.02 मोबाइल फोन

3.500 रूपये नगद



2-थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस और लुटेरे बदमाशों के बीच पुलिस मुठभेड़ के दौरान गाड़ी में बैठाकर लूट करने वाले गैंग के 02 बदमाश घायल अवस्था में व 01 कांबिंग के दौरान गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 कार, 01 फर्जी नम्बर प्लेट, 03 अवैध तमंचे मय 03 जिन्दा कारतूस, 03 खोखा कारतूस, लूट का 01 मोबाइल फोन व लूट के 47,800 रूपये नगद बरामद।

दिनांक 13.10.2021 को थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान थाना सेक्टर 39 क्षेत्र के सेक्टर-44 गोल चक्कर से सेक्टर-98 की तरफ सर्विस रोड पर हुई पुलिस मुठभेड़ में गाड़ी में बैठाकर लूट करने वाले गैंग के 02 अभियुक्त 1. पुष्पेन्द्र पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम विधा की गढी, थाना टप्पल, जिला अलीगढ 2. जाबेद उर्फ जाबर पुत्र मुस्ताक निवासी ग्राम बिलासरपुर, थाना दनकौर जनपद गौतमबुद्धनगर वर्तमान पता नई बस्ती कठहैरा रोड दादरी, गौतमबुद्धनगर को जवाबी फायरिंग के दौरान पैर में गोली लगने के कारण घायल अवस्था में व 01 अभियुक्त अरूण उर्फ अन्नी पुत्र सोहनपाल निवासी ग्राम बिलासपुर, थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर को कांबिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की एक कार आई-10, 01 फर्जी नम्बर प्लेट ,03 अवैध देशी तमंचे 315 बोर, 03 जिन्दा कारतूस, 03 खोखा कारतूस 315 बोर, मु0अ0सं0 757/2021

धारा 392 भादवि की घटना से सम्बन्धित लूट का 01 मोबाइल फोन(ओप्पो) व लूट के 47,800 रूपये नगद बरामद हुए है।

अभियुक्त राह चलते या सड़क पर वाहन का इन्तजार कर रहे लोगों को कार में सवारी के रूप में बैठाकर उनसे नगदी, मोबाइल व एटीएम कार्ड लेकर बैंक से धनराशी निकलवा लेते है तथा अन्य सामान लूटकर सडक किनारे छोडकर चले जाते है। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि दिनांक 16/9/2021 को इनके द्वारा महामाया फ्लाई ओवर की तरफ से आगरा जाने वाले रास्ते पर दो व्यक्तियों को कार में बैठाया गया था जिनसे रास्ते में मोबाइल व 1,19,000 रूपये लूटने के बाद 50,000 रूपये एटीएम से निकालकर जेवर टोल से पहले ही उतारकर चले गये थे।

अभियुक्तों का विवरण:

- 1.पुष्पेन्द्र पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम विधा की गढी, थाना टप्पल, जिला अलीगढ।(घायल)
- 2.जाबेद उर्फ जाबर पुत्र मुस्ताक निवासी ग्राम बिलासरपुर, थाना दनकौर जनपद गौतमबुद्धनगर वर्तमान पता नई बस्ती कठहैरा रोड दादरी, गौतमबुद्धनगर।(घायल)
- 03.अरूण उर्फ अन्नी पुत्र सोहनपाल निवासी ग्राम बिलासपुर, थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण:

अभियुक्त जाबेद

- 1-मु0अ0सं0 813/2021 धारा 307/411/482/34 भादवि थाना सेक्टर-39 गौतमबुद्धनगर।
- 2-मु0अ0सं0 815/2021 धारा 3/25/27 आर्म्स अधि0 थाना सेक्टर-39 गौतमबुद्धनगर।
- 3-मु0अ0सं0 757/21 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर-39 गौतमबुद्धनगर।
- 4-मु0अ0सं0 1003/2018 धारा 411/414 भादवि थाना कासना गौतमबुद्धनगर
- 5-मु0अ0सं0 1077/2018 धारा 379 भादवि थाना सेक्टर-39 गौतमबुद्धनगर।
- 6-मु0अ0सं0 561/2015 धारा 379 भादवि थाना सेक्टर-39 गौतमबुद्धनगर।
- 7-मु0अ0सं0 1027/2018 धारा 392 भादवि थाना सेक्टर-39 गौतमबुद्धनगर।

- 8-मु0अ0सं0 1062/2018 धारा 392/394 भादवि थाना सेक्टर-39 गौतमबुद्धनगर।
- 9-मु0अ0सं0 156/2019 धारा 342/392 भादवि थाना कासना गौतमबुद्धनगर।
- 10-मु0अ0सं0 1001/2018 धारा 307 भादवि थाना कासना गौतमबुद्धनगर।
- 11-मु0अ0सं0 1002/2018 धारा 25/27 आर्म्स अधि थाना कासना गौतमबुद्धनगर।
- 12-मु0अ0सं0 929/2018 धारा 392 भादवि थाना कासना गौतमबुद्धनगर।
- 13-मु0अ0सं0 497/2020 धारा 3/25/27 भादवि थाना सेक्टर-39 गौतमबुद्धनगर।
- 14-मु0अ0सं0 760/18 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर-39 गौतमबुद्धनगर।
- 15-मु0अ0सं0 1028/18 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर-39 गौतमबुद्धनगर।
- 16-मु0अ0सं0 1119/18 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर-39 गौतमबुद्धनगर।
- 17-मु0अ0सं0 40/19 धारा 379/411 भादवि थाना सनलाईट दिल्ली।
- 18-मु0अ0सं0 235/19 धारा 25/27 ए एक्ट थाना सेक्टर-39 गौतमबुद्धनगर।
- 19-मु0अ0सं0 61/2019 धारा 392/506 भादवि थाना पिसावा अलीगढ।
- 20-मु0अ0सं0 67/2019 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना पिसावा अलीगढ।
- 21-मु0अ0सं0 119/2019 धारा 2/3 गैगस्टर अधि0 थाना पिसावा अलीगढ।
- 22-मु0अ0सं0 258/2019 धारा 392 भादवि थाना टप्पल अलीगढ।
- 23-मु0अ0सं0 92/2020 धारा 307/356 भादवि थाना टप्पल अलीगढ।
- 24-मु0अ0सं0 421/19 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर-39 गौतमबुद्धनगर।
- 25-मु0अ0सं0 50/21 धारा 307/420/482 भादवि थाना ऐक्सप्रेस वे नोएडा।
- 26-मु0अ0सं0 52/21 धारा 379 भादवि थाना ऐक्सप्रेस वे नोएडा।
- 27-मु0अ0सं0 90/21 धारा 379/420/504 भादवि थाना बीटा-2 नोएडा।
- 28-मु0अ0सं0 96/21 धारा 392 भादवि थाना बीटा-2 नोएडा।

29-मु0अ0सं0 122/21 धारा 392 भादवि थाना बीटा-2 नोएडा।

अभियुक्त पुष्पेन्द्र

1-मु0अ0सं0 813/2021 धारा 307/411/482/34 भादवि थाना सेक्टर-39 गौतमबुद्धनगर।

2-मु0अ0सं0 814/2021 धारा 3/25/27 आर्म्स अधि0 थाना सेक्टर-39 गौतमबुद्धनगर।

3-मु0अ0सं0 757/21 धारा 392 भादवि थाना सेक्टर-39 गौतमबुद्धनगर।

4-मु0अ0सं0 69/2019 धारा 25/27 आर्म्स अधि0 थाना पिसावा अलीगढ।

5-मु0अ0सं0 61/2019 धारा 392/506 भादवि थाना पिसावा अलीगढ।

6-मु0अ0सं0 67/2019 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना पिसावा अलीगढ।

7-मु0अ0सं0 38/2020 धारा 3/25 आर्म्स अधि0 थाना पिसावा अलीगढ।

8-मु0अ0सं0 119/2019 धारा 2/3 गैगस्टर अधि0 थाना पिसावा अलीगढ।

9-मु0अ0सं0 258/2019 धारा 392 भादवि थाना टप्पल अलीगढ।

10-मु0अ0सं0 1003/2018 धारा 411/414 भादवि थाना कासना गौतमबुद्धनगर।

11-मु0अ0सं0 760/2018 धारा 392 भादवि थाना सेक्टर-39 गौतमबुद्धनगर।

12-मु0अ0सं0 129/2019 धारा 392 भादवि थाना सेक्टर-39 गौतमबुद्धनगर।

13-मु0अ0सं0 1077/2018 धारा 379 भादवि थाना सेक्टर-39 गौतमबुद्धनगर।

14-मु0अ0सं0 561/2015 धारा 379 भादवि थाना सेक्टर-39 गौतमबुद्धनगर।

15-मु0अ0सं0 495/2020 धारा 307/414 भादवि थाना सेक्टर-39 गौतमबुद्धनगर।

16-मु0अ0सं0 497/2020 धारा 3/27 आर्म्स अधि0 थाना सेक्टर-39 गौतमबुद्धनगर।

17-मु0अ0सं0 1028/18 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर-39 गौतमबुद्धनगर।

18-मु0अ0सं0 1119/18 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर-39 गौतमबुद्धनगर।

19-मु0अ0सं0 40/19 धारा 379/411 भादवि थाना सनलाईट दिल्ली।

20-मु0अ0सं0 421/19 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर-39 गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्त अरूण उर्फ अत्री

1-मु0अ0सं0 813/2021 धारा 307/411/482/34 भादवि थाना सेक्टर-39 गौतमबुद्धनगर।

2-मु0अ0सं0 816/2021 धारा 3/25/27 आर्म्स अधि0 थाना सेक्टर-39 गौतमबुद्धनगर।

3-मु0अ0सं0 757/21 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर-39 गौतमबुद्धनगर।

4-मु0अ0सं0 24/21 धारा 392 भादवि थाना एक्सप्रेस वे नोएडा।

5-मु0अ0सं0 50/21 धारा 307/420/482 भादवि थाना एक्सप्रेस-वे नोएडा।

6-मु0अ0सं0 51/21 धारा 4/25 आर्म्स अधि0 थाना एक्सप्रेस-वे नोएडा।

7-मु0अ0सं0 75/21 धारा 420/379 भादवि0 थाना सेक्टर-39 गौतमबुद्धनगर।

8-मु0अ0सं0 393/18 धारा 392 भादवि0 थाना सेक्टर-39 गौतमबुद्धनगर।

9-मु0अ0सं0 421/20 धारा 392 भादवि0 थाना सेक्टर-39 गौतमबुद्धनगर।

10-मु0अ0सं0 644/20 धारा 420/406 भादवि0 थाना सेक्टर-39 गौतमबुद्धनगर।

11-मु0अ0सं0 24/21 धारा 379 भादवि0 थाना नालेजपार्क गौतमबुद्धनगर।

12-मु0अ0सं0 96/21 धारा 392 भादवि0 थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर।

13-मु0अ0सं0 346/18 धारा 364/394/506 भादवि0 थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।

14-मु0अ0सं0 350/18 धारा 3/25 आर्म्स अधि0 थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।

15-मु0अ0सं0 548/20 धारा 420/406 भादवि थाना सेक्टर-39 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

1.चोरी की एक कार आई-10, 01 फर्जी नम्बर प्लेट।

2.03 अवैध देशी तमंचे 315 बोर, 03 जिन्दा कारतूस, 03 खोखा कारतूस 315 बोर

3.मु0अ0सं0 757/2021 धारा 392 भादवि की घटना से सम्बन्धित लूट का 01 मोबाइल फोन(ओप्पो) व लूट के 47,800 रूपये नगद

3-थाना दादरी पुलिस द्वारा अमित भाटी हत्याकाण्ड में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार बरामद।

दिनांक 13.10.2021 को थाना दादरी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 797/2021 धारा 147/148/149/302/34/120बी भादवि में वांछित अभियुक्त सतीश पुत्र रामपत निवासी चक्रसैनपुर, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा लुहारली के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार आई0-20 रंग ग्रे रजि0 नं0 यूपी 16 सीएस 3859 बरामद की गई है।

अभियुक्त द्वारा दिनांक 11.08.2021 को थाना दादरी के ग्राम चक्रसैनपुर मे अमित भाटी पुत्र महिपाल सिंह निवासी चक्रसैनपुर थाना दादरी गौतमबुद्धनगर की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी जिसमे अभियुक्त फरार चल रहा था।

अभियुक्त का विवरण:

सतीश पुत्र रामपत निवासी चक्रसैनपुर, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

आपराधिक इतिहास का विवरण:

1.मु0अ0सं0 797/2021 धारा 147, 148, 149, 302, 34 ,120बी भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0सं0 1405/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

घटना में प्रयुक्त कार आई0-20 रंग ग्रे रजि0 नं0 यूपी 16 सीएस 3859



4-थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस द्वारा मोबाइल फोन सैचिंग/वाहन चोरी करने वाले गैंग के 03 वांछित लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से लूट/चोरी के 14 मोबाइल फोन, फर्जी नम्बर प्लेट लगी 02 मोटरसाइकिल व 04 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद।

दिनांक 13.10.2021 को थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस द्वारा मोबाइल फोन सैचिंग/वाहन चोरी करने वाले गैंग के 03 वांछित लुटेरे 1. अनूप उर्फ अनुपम पुत्र नन्दन सिंह निवासी ग्राम चौनपुर, जिला सिवान, बिहार वर्तमान पता कविता पैलेस के पास, राजीव विहार, खोड़ा कॉलोनी, थाना खोड़ा, जिला गाजियाबाद, 2. रितिक पुत्र पप्पू निवासी ग्राम अरनिया तलसेरा, थाना सिकन्दरा राव, जिला हाथरस वर्तमान साहिल पब्लिक स्कूल के पास, खोड़ा कॉलोनी थाना खोड़ा, जिला गाजियाबाद, 3. अंशु कुमार द्विवेदी पुत्र कान्ता प्रसाद द्विवेदी निवासी कविता पैलेस के पास, राजीव विहार खोड़ा कॉलोनी थाना खोड़ा जिला गाजियाबाद को थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया चौराहा, सेक्टर-62, नोएडा से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्तों के कब्जे से लूट/चोरी के 14 मोबाइल फोन, फर्जी नम्बर प्लेट लगी 02 मोटरसाइकिल (प्लेटिना व डिस्कवर) व 04 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद हुए हैं।

अभियुक्तों का विवरण:

1. अनूप उर्फ अनुपम पुत्र नन्दन सिंह निवासी ग्राम चौनपुर जिला सिवान बिहार वर्तमान पता कविता पैलेस के पास राजीव विहार खोड़ा कालोनी थाना खोड़ा जिला गाजियाबाद।
2. रितिक पुत्र पप्पू निवासी ग्राम अरनिया तलसेरा थाना सिकन्दरा राव जिला हाथरस वर्तमान साहिल पब्लिक स्कूल के पास, खोड़ा कालोनी थाना खोड़ा जिला गाजियाबाद।

3. अंशु कुमार द्विवेदी पुत्र कान्ता प्रसाद द्विवेदी निवासी कविता पैलेस के पास, राजीव विहार खोड़ा कालोनी थाना खोड़ा जिला गाजियाबाद।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण:

1. मु0अ0सं0-871/2021 धारा 414, 482 भादवि थाना सेक्टर-58 गौतमबुद्धनगर।

2. मु0अ0सं0-597/2019 धारा 379 भादवि थाना खोड़ा जिला गाजियाबाद

3. मु0अ0सं0-830/21 धारा 392, 411 भादवि थाना सेक्टर-58, नोएडा

बरामदगी का विवरण:

1. लूट/चोरी के 14 मोबाइल फोन

2. फर्जी नम्बर प्लेट लगी 02 मोटरसाइकिल (प्लेटिना व डिस्कवर)

3. 04 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद

5-थाना सूरजपुर पुलिस व सीडी टीम सेन्ट्रल नोएडा द्वारा 55 लाख रुपये की लूट करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूट के 55 लाख रुपये, घटना में प्रयुक्त गाडी, 01 अवैध तमंचा मय कारतूस, 02 अवैध चाकू व 02 अवैध फर्जी आईडी बरामद।

दिनांक 13.10.2021 को थाना सूरजपुर पुलिस व सीडी टीम सेन्ट्रल नोएडा द्वारा 55 लाख रुपये की लूट करने वाले 03 अभियुक्त 1. रकम सिंह उर्फ राकी पुत्र विक्रम सिंह निवासी ग्राम असतौली, थाना दनकौर, जनपद गौतमबुद्धनगर 2. राजेश कुमार उर्फ सोनू पुत्र भूप सिंह निवासी ग्राम असतौली, थाना दनकौर, जनपद गौतमबुद्धनगर व 3. अमित कुमार पुत्र भूप सिंह निवासी ग्राम असतौली, थाना दनकौर, जनपद गौतमबुद्धनगर को थाना सूरजपुर क्षेत्र के कस्बा सूरजपुर व शनि मन्दिर ग्राम देवला के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से थाना सूरजपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 824/2021 धारा 394 भादवि से संबंधित लूटे गये 55 लाख रुपये नगद, लूट की घटना में प्रयुक्त कार इको स्पोर्टस नम्बर एचआर 51 बीई 6911, एक अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस, 02 अवैध चाकू व दो फर्जी आधार कार्ड (रकम उर्फ रोकी व राजेश से) बरामद हुए हैं।

घटना का विवरण:

दिनांक 13.10.2021 को श्री विष्णु गुप्ता पुत्र श्री घनश्याम गुप्ता निवासी डी-203, वृन्दा सिटी, सेक्टर पाई-4, ग्रेटर नोएडा द्वारा लिखित तहरीर ड्राइवर राजेश कुमार की एक्सयूवी महिन्द्रा कार को इको स्पोर्टस सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मैट्रो स्टेशन सेक्टर-143 के पास एक्सप्रेस-वे पर ओवरटेक करके महिन्द्रा कार में रखे 55 लाख रुपये लूटकर ड्राइवर राजेश को बांधकर सडक के किनारे नाले में फेक देने के सम्बंध में दी गयी। जिसके आधार पर थाना सूरजपुर पर मु0अ0सं0 824/2021 धारा 394 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था।

अभियुक्तों का विवरण:

- 1.रकम सिंह उर्फ राकी पुत्र विक्रम सिंह निवासी ग्राम असतौली, थाना दनकौर, जनपद गौतमबुद्धनगर।
2. राजेश कुमार उर्फ सोनू पुत्र भूप सिंह निवासी ग्राम असतौली, थाना दनकौर, जनपद गौतमबुद्धनगर।
- 3.अमित कुमार पुत्र भूप सिंह निवासी ग्राम असतौली, थाना दनकौर, जनपद गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

- 1.मु0अ0सं0 824/2021 धारा 394/411/420/467/468/471/120बी/34 भादवि थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर बनाम रकम सिंह उर्फ राकी, राजेश कुमार व अमित।
- 2.मु0अ0सं0 828/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर बनाम रकम सिंह उर्फ राकी।
- 3.मु0अ0सं0 829/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर बनाम राजेश कुमार।
- 4.मु0अ0सं0 830/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर बनाम अमित कुमार।

बरामदगी का विवरण:

- 1.लूट के 55 लाख रुपये

2.घटना में प्रयुक्त गाडी

3.01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस

4.02 अवैध चाकू

5.02 अवैध फर्जी आईडी



6-थाना जेवर पुलिस, एसओजी टीम और स्वाट टीम के अथक प्रयास से महिला के साथ दुष्कर्म करने वाला 25,000 रुपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 13.10.2021 को थाना जेवर पुलिस, एसओजी टीम और स्वाट टीम के अथक प्रयास से महिला के साथ दुष्कर्म करने वाला 25,000 रुपये का इनामी अभियुक्त महेन्द्र पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम दयानतपुर थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के ग्राम दयानतपुर से नगला जहानू जाने वाली छोटी नहर की सडक के पास से गिरफ्तार किया गया है। उक्त घटना से सम्बन्धित एक अभियुक्त को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

संक्षिप्त विवरण:

दिनांक 10.10.2021 को थाना जेवर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई थी कि उसकी पत्नी के साथ एक नामजद व्यक्ति व तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया गया है जिसके आधार पर थाना जेवर पर मु0अ0सं0 752/21 धारा 352,376डी,506 भादवि व 3(1)(द) व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था।

अभियुक्त का विवरण:

महेन्द्र पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम दयानतपुर थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण:

1. मु0अ0सं0 752/21 धारा 352,376डी,506 भादवि व 3(1)(द) व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट थाना जेवर गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0. 414/16 धारा 380,411 भादवि थाना जेवर गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0. 313/12 धारा 457,380,511 भादवि थाना जेवर गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0. 040/12 धारा 110 G दं0प्र0सं0 थाना जेवर गौतमबुद्धनगर।



7-थाना सेक्टर-24 नोएडा पुलिस द्वारा दो पहिया वाहन चोरी करने वाले 03 चोर गिरफ्तार, कब्जे से 01 चोरी की मोटरसाइकिल, फर्जी नम्बर प्लेट व 02 अवैध चाकू बरामद।

दिनांक 12/10/2021 को थाना सेक्टर-24 नोएडा पुलिस द्वारा दो पहिया वाहन चोरी करने वाले 03 चोर 1-आकाश पुत्र संजय श्रीवास्तव मूल निवासी ग्राम शितलापुर थाना लखीमा जिला महाराजगंज वर्तमान पता हरेन्द्र का किराये का मकान, यश मैमोरियल स्कूल के पास, ग्राम बिशनपुरा, सेक्टर-58, नोएडा, 2-अमन ठाकुर उर्फ हनी सिंह पुत्र सुनील ठाकुर वर्तमान पता गाँधी पार्क स्कूल के पीछे, चौहान का किराये का मकान, सेक्टर-22, नोएडा मूल पता किस्बा शिवपुरी, फतेहगंज, थाना फतेहगंज जिला बरेली, 3- अंशुल उर्फ समीर द्विवेदी पुत्र मनी शंकर द्विवेदी मूल निवासी ग्राम हीरापुर, थाना कछवा, जिला मिर्जापुर वर्तमान पता अंकुर आटा चक्की वाले का मकान, ग्राम छिजारसी, सेक्टर-63 नोएडा को थाना क्षेत्र के पिंक टॉयलेट के सामने तिराहे के पास सेक्टर-34 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्तों के कब्जे से 01 चोरी की मोटरसाइकिल हीरो स्पलैण्डर प्लस रजि0 नं0 डीएल 13 एस 6766(सम्बंधित ई एफ0आई0आर0 नं0 012337/21 क्राईम ब्रांच दिल्ली ई-

पुलिस स्टेशन एण्टी थैट) ,01 फर्जी नम्बर प्लेट नं0 डीएल 7 एस ए आर 2929 व 02 अवैध चाकू बरामद हुए है।

अभियुक्तों का विवरण:

1-आकाश पुत्र संजय श्रीवास्तव मूल निवासी ग्राम शितलापुर थाना लखीमा जिला महाराजगंज वर्तमान पता हरेन्द्र का किराये का मकान, यश मैमोरियल स्कूल के पास, ग्राम बिशनपुरा, सेक्टर-58, नोएडा।

2-अमन ठाकुर उर्फ हनी सिंह पुत्र सुनील ठाकुर वर्तमान पता गाँधी पार्क स्कूल के पीछे, चौहान का किराये का मकान, सेक्टर-22, नोएडा मूल पता किस्बा शिवपुरी, फतेहगंज, थाना फतेहगंज जिला बरेली।

3- अंशुल उर्फ समीर द्विवेदी पुत्र मनी शंकर द्विवेदी मूल निवासी ग्राम हीरापुर, थाना कछवा, जिला मिर्जापुर वर्तमान पता अंकुर आटा चक्की वाले का मकान, ग्राम छिजारसी, सेक्टर-63 नोएडा।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण:

अभियुक्त आकाश

1-मु0अ0सं0 963/2021 धारा 411/468 भादवि थाना सेक्टर-24 नोएडा।

2-मु0अ0सं0 964/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-24 नोएडा।

3-ई एफ0आई0आर0 नं0 012337 ई पुलिस स्टेशन एण्टी थैट क्राईम ब्रांच दिल्ली।

अभियुक्त अमन ठाकुर

1-मु0अ0सं0 963/2021 धारा 411/468 भादवि थाना सेक्टर-24 नोएडा।

2-मु0अ0सं0 964/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर 24 नोएडा।

3-ई एफ0आई0आर0 नं0 012337 ई पुलिस स्टेशन एण्टी थैट क्राईम ब्रांच दिल्ली।

4-मु0अ0सं0 404/2020 धारा 323/324/504 भादवि थाना सेक्टर-58 नोएडा।

5-मु0अ0सं0 402/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-58 नोएडा।

6-मु0अ0सं0 1137/2015 धारा 302/34 भादवि थाना सेक्टर-58 नोएडा।

अभियुक्त अंशुल

1-मु0अ0सं0 963/2021 धारा 411/468 भादवि थाना सेक्टर-24 नोएडा।

2-ई एफ0आई0आर0 नं0 012337 ई पुलिस स्टेशन एण्टी थैष्ट क्राईम ब्रांच दिल्ली।

3-मु0अ0सं0 81/2021 धारा 411/414 भादवि थाना सेक्टर-58 नोएडा।

बरामदगी का विवरण:

1.01 चोरी की मोटरसाइकिल हीरो स्पलैण्डर प्लस रजि0 नं0 डीएल 13 एस 6766 (सम्बंधित ई एफ0आई0आर0 नं0 012337/21 क्राईम ब्रांच दिल्ली ई-पुलिस स्टेशन एण्टी थैष्ट)।

2.01 फर्जी नम्बर प्लेट नं0 डीएल 7 एस ए आर 2929

3.02 अवैध चाकू



#एएचटीयू टीम द्वारा परिजनों से बिछड़े जनपद गाजियाबाद के 03 बच्चों को वापस परिजनों से मिलाकर लौटाई घर की खुशियां।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान तृतीय के तहत पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर आलोक सिंह के निर्देशानुसार अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय के नेतृत्व में कमिश्नर गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा जनपद गौतमबुद्धनगर में शेल्टर होम्स जाकर बच्चों को उनके परिजनों से मिलवाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। इसी

अभियान के क्रम मे आज दिनांक 13.10.2021 को एएचटीयू प्रभारी निरीक्षक देवेन्द्र व उनकी टीम द्वारा साई कृपा शेल्टर होम सेक्टर 12/22 में जाकर बच्चो की काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग के दौरान परिजनों से बिछड़ गए 03 बच्चो से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना नाम व पता जनपद गाजियाबाद का होना बताया। इसके उपरांत एएचटीयू टीम द्वारा बच्चों द्वारा बताए गए पते पर पहुंचकर आसपास के लोगों को बच्चों के फ़ोटो दिखाकर उनके बारे में जानकारी करने का प्रयास किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद एएचटीयू टीम द्वारा बच्चों के घर का पता लगाया गया जिसके उपरांत टीम द्वारा उक्त पते पर पहुंचकर जानकारी की तो वहां पर एक बच्चे के पिता मिले जिनके द्वारा उक्त तीनों बच्चों को पहचान लिया गया। उनके द्वारा बताया गया एक बच्चा उन्ही का है जो उनकी डांट से नाराज़ होकर घर छोड़कर चला गया था व 02 अन्य बच्चे भी उसी के साथी है तत्पश्चात एएचटीयू टीम द्वारा अन्य दोनों बच्चों के माता-पिता से भी संपर्क किया गया। एएचटीयू टीम द्वारा उक्त तीनों बच्चों के माता-पिता को अपने साथ साई कृपा शेल्टर होम लाकर बच्चों को उनसे मिलवाया गया। तीनों बच्चों को सीडब्ल्यूसी के माध्यम से उनके परिजनों के सुपुर्द करने की अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। पुलिस द्वारा किए गए इस कार्य के लिए बच्चों के परिजनों द्वारा गौतमबुद्धनगर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया।